भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2501
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली कंपनियों के घाटे में बढ़ोतरी

2501. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बिजली कंपनियों का कुल घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.4 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए बिजली उत्पादन में सुधार, पारेषण और वितरण घाटे को कम करने और बिजली आपूर्ति की वास्तविक लागत के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं, यदि हां, तो बिजली कंपनियों के घाटे के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित इस घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जी हाँ। 'राज्य वित्त - वर्ष 2024-25 के बजट का अध्ययन' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट में बताया गया है कि विद्युत वितरण कंपनियों की कुल संचित हानियां वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) हो गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों में वृद्धि का मुख्य कारण ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) का कार्यान्वयन न करना था। विद्युत वितरण यूटिलिटी की वित्तीय हानियों के अन्य प्रमुख कारणों में टैरिफ आदेश जारी करने में देरी, खराब बिलिंग और संग्रह क्षमता, राज्य सरकार के विभागों/स्थानीय निकायों के बिजली बकाया की कम वसूली और टैरिफ सब्सिडी शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विद्युत वितरण यूटिलिटी का राज्यवार संचित अधिशेष/(हानि) **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न पहलों के माध्यम से विद्युत वितरण यूटिलिटी को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए समर्थन दे रही है। कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

i. यह कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत निकासी सुनिश्चित करने के लिए पारित की जाएं। ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं।

ii. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

iii. वित्तीय रूप से टिकाऊ और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति को राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जोड़ा गया है।

iv. यदि वितरण यूटिलिटी हानि कम करने के उपाय लागू करती है तो राज्य को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है।

v. निर्धारित मापदंडों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि वित्तीय वर्ष 2021 में ~22% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में ~16.28% हो गई है और इसी अवधि के दौरान आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व के बीच का अंतर (एसीएस-एआरआर गैप) 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2501

अनुबंध

विद्युत वितरण यूटिलिटी का संचित अधिशेष/(हानि)

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

राज्य/डिस्कॉम	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
आंध्र प्रदेश	**(29,218)**	**(29,210)**
एपीसीपीडीसीएल	(9,726)	(9,695)
एपीईपीडीसीएल	(6,911)	(6,936)
एपीएसपीडीसीएल	(12,581)	(12,580)
असम	**(1,699)**	**(1,324)**
एपीडीसीएल	(1,699)	(1,324)
बिहार	**(19,777)**	**(18,503)**
एनबीपीडीसीएल	(7,367)	(6,261)
एसबीपीडीसीएल	(12,411)	(12,242)
छत्तीसगढ़	**(10,057)**	**(10,016)**
सीएसपीडीसीएल	(10,057)	(10,016)
गुजरात	**935**	**5,165**
डीजीवीसीएल	546	1,504
एमजीवीसीएल	418	885
पीजीवीसीएल	(300)	1,491
यूजीवीसीएल	272	1,285
हरियाणा	**(28,165)**	**(28,001)**
डीएचबीवीएन	(13,194)	(13,071)
यूएचबीवीएन	(14,971)	(14,929)
हिमाचल प्रदेश	**(3,126)**	**(3,754)**
एचपीएसईबीएल	(3,126)	(3,754)
झारखंड	**(15,848)**	**(18,469)**
जेबीवीएनएल	(15,848)	(18,469)
कर्नाटक	**(17,559)**	**(26,109)**
बेसकॉम	(4,480)	(8,343)
चेसकॉम	(2,686)	(3,033)
गेसकॉम	(3,398)	(4,894)
हेसकॉम	(7,258)	(9,898)
मेसकॉम	263	59
केरल	**(34,668)**	**(35,978)**
केएसईबीएल	(34,668)	(35,978)
मध्य प्रदेश	**(65,291)**	**(69,301)**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(27,110)	(29,124)
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(13,107)	(13,233)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(25,073)	(26,944)
महाराष्ट्र	**(31,275)**	**(36,226)**
एमएसईडीसीएल	(31,275)	(36,226)
मणिपुर	**(286)**	**(295)**
एमएसपीडीसीएल	(286)	(295)
मेघालय	**(4,259)**	**(4,634)**
एमईपीडीसीएल	(4,259)	(4,634)
पंजाब	**(10,420)**	**(9,620)**

पीएसपीसीएल	(10,420)	(9,620)
राजस्थान	**(92,070)**	**(91,565)**
एवीवीएनएल	(28,263)	(27,438)
जेडीवीवीएनएल	(34,488)	(34,781)
जेवीवीएनएल	(29,318)	(29,345)
तमिलनाडु	**(1,62,507)**	**(1,66,944)**
टेनजेनको	(1,62,507)	(1,66,944)
तेलंगाना	**(60,922)**	**(67,276)**
टीएसएनपीडीसीएल	(18,593)	(20,037)
टीएसएसपीडीसीएल	(42,330)	(47,239)
त्रिपुरा	**(854)**	**(1,171)**
टीएसईसीएल	(854)	(1,171)
उत्तर प्रदेश	**(82,556)**	**(89,662)**
डीवीवीएनएल	(28,398)	(30,666)
केस्को	(4,187)	(4,733)
एमवीवीएनएल	(20,345)	(21,715)
पीएवीवीएनएल	(10,508)	(9,652)
पीयूवीवीएनएल	(19,119)	(22,896)
उत्तराखंड	**(5,096)**	**(5,435)**
यूपीसीएल	(5,096)	(5,435)
पश्चिम बंगाल	**119**	**158**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	119	158
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप	**103**	
डीएनएचपीडीसीएल		
डीएनएचडीडीपीडीसीएल	103	
दिल्ली	**11,591**	**12,893**
बीआरपीएल	5,244	6,089
बीवाईपीएल	3,094	3,476
टीपीडीडीएल	3,253	3,328
गुजरात	**4,018**	
टोरंट पावर अहमदाबाद	3,426	
टोरंट पावर सूरत	592	
महाराष्ट्र	**1,580**	**561**
एईएमएल	1,580	561
ओडिशा	**517**	**824**
टीपीएनओडीएल	190	323
टीपीएसओडीएल	124	161
टीपीडब्ल्यूओडीएल	154	229
टीपीसीओडीएल	49	112
उत्तर प्रदेश	**1,293**	**1,426**
एनपीसीएल	1,293	1,426
पश्चिम बंगाल	**9,770**	**197**
सीईएससी	9,491	
आईपीसीएल	279	197
कुल योग	**(6,45,728)**	**(6,92,269)**

****